संख्याः– ✓ /XVIII(II)/2022–01(09)/2021

प्रेषक,

डा0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2022**

विषयः–श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट के नाम पाडुली, रा0उ0नि0 क्षेत्र श्रीकोट तहसील कर्णप्रयाग में 100 बिस्तर का मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल तथा नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4061/सात–06 (2020–2021), दिनांक 25 फरवरी, 2021 तथा पत्र संख्या–6009/सात–06 (2020–2021), दिनांक 19 मई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट को ग्राम पाडुली रा0उ0नि0 क्षेत्र श्रीकोट तहसील कर्णप्रयाग में 100 बिस्तर का मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल तथा नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु ग्राम पाडुली के खाता खतौनी सं0–22 के खसरा संख्या–1342 रकबा 0.025 है0, खसरा संख्या–1333 रकबा 0.005 है0, खाता संख्या–1335 रकबा 0.021है0, खाता संख्या–1331 रकबा 0.039 है0, खतौनी खा0स0–17 के खसरा संख्या–1312 रकबा 0.030 है0, ख0खा0सं0–17 के खसरा संख्या–1310 रकबा 0.009है0, खतौनी खा0स0–17 के खसरा संख्या–1311 रकबा 0.020है0, खतौनी खा0स0–108 के खसरा संख्या–1313म0 रकबा 0.014है0, खतौनी खा0स0–098 के खसरा संख्या–1313म रकबा 0.011है0, खतौनी खा0स0–6 के खसरा संख्या–1314 रकबा 0.036 है0, खतौनी खा0स0–6के खसरा संख्या–1325 रकबा 0.010है0, खतौनी खा0स0–6 के खसरा संख्या–1326 रकबा 0.008है0, खतौनी खा0स0–6 के खसरा संख्या–1330 रकबा 0.015 है0, खतौनी खा0स0–6 के खसरा संख्या–1316 रकबा 0.033 है0, खतौनी खा0स0–15 के खसरा संख्या–1319 रकबा 0.015 है0, खतौनी खा0स0–15 के खसरा संख्या–1269 रकबा 0.033 है0, खतौनी खा0स0–15 के खसरा संख्या–1317 रकबा 0.023 है0, खतौनी खा0स0–15 के खसरा संख्या–1318 रकबा 0.020 है0, खतौनी खा0स0–15 के खसरा संख्या–1270 रकबा 0.028 है0, खतौनी खा0स0–15 के खसरा संख्या–1271 रकबा 0.040 है0, खतौनी खा0स0–23 के खसरा संख्या 1352म0 रकबा 0.008 है0 कुल 0.443 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रदत्त सहमति के क्रम में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट को ग्राम पाडुली रा0उ0नि0 क्षेत्र श्रीकोट तहसील कर्णप्रयाग में 100 बिस्तर का मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल तथा नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु ग्राम पाडुली के खाता खतौनी सं0–22 के

....2

खसरा संख्या—1342 रकबा 0.025 है0, खसरा संख्या—1333 रकबा 0.005 है0, खाता संख्या—1335 रकबा 0.021है0, खाता संख्या—1331 रकबा 0.039 है0, खतौनी खा0स0—17 के खसरा संख्या—1312 रकबा 0.030 है0, ख0खा0सं0—17 के खसरा संख्या—1310 रकबा 0.009है0, खतौनी खा0स0—17 के खसरा संख्या—1311 रकबा 0.020है0, खतौनी खा0स0—108 के खसरा संख्या—1313म0 रकबा 0.014है0, खतौनी खा0स0—098 के खसरा संख्या—1313म रकबा 0.011है0, खतौनी खा0स0—6 के खसरा संख्या—1314 रकबा 0.036 है0, खतौनी खा0स0—6 के खसरा संख्या—1325 रकबा 0.010है0, खतौनी खा0स0—6 के खसरा संख्या—1326 रकबा 0.008है0, खतौनी खा0स0—6 के खसरा संख्या—1330 रकबा 0.015 है0, खतौनी खा0स0—6 के खसरा संख्या—1316 रकबा 0.033 है0, खतौनी खा0स0—15 के खसरा संख्या—1319 रकबा 0.015 है0, खतौनी खा0स0—15 के खसरा संख्या—1269 रकबा 0.033 है0, खतौनी खा0स0—15 के खसरा संख्या—1317 रकबा 0.023 है0, खतौनी खा0स0—15 के खसरा संख्या—1318 रकबा 0.020 है0, खतौनी खा0स0—15 के खसरा संख्या—1270 रकबा 0.028 है0, खतौनी खा0स0—15 के खसरा संख्या—1271 रकबा 0.040 है0, खतौनी खा0स0—23 के खसरा संख्या 1352म0 रकबा 0.008 है0 कुल 0.443 है0 भूमि उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा—154 (4)(3)(क)(i) के अन्तर्गत कय की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (100 बिस्तर का मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल तथा नर्सिंग कॉलेज निर्माण) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होगें।

3— जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4— जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5— शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

....3

6– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

7– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

8– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा कय की अनुमति प्रदान की गयी है।

9– ट्रस्ट द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये जाने वाले हॉस्पिटल में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– चिकित्सा प्रयोजन (अस्पताल निर्माण) का निर्माण किये जाने सम्बन्धी आई0पी0एच0एस0 मानकों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

12– ट्रस्ट द्वारा वर्णित भूमि में चिकित्सालय सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लागू योजनाओं यथा अटल आयुष्मान/गोल्डन कार्ड एवं अन्य राजकीय योजनाओं को अनिवार्य रूप से चिकित्सालय में लागू किया जायेगा।

13– ट्रस्ट अपनी प्रस्तावित योजना में उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2013 के अनुरूप कार्य करने के सम्बन्ध में आख्या सम्मिलित करेगी, साथ ही उक्त चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधायें उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2013 के अनुरूप होगी। इस आशय का शपथ पत्र सम्बन्धित संस्था से प्राप्त किया जाना उचित होगा।

14– कय की जा रही भूमि के विकय–विलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

15– अन्य किसी प्रकार की विधिक अनियमितता के लिए संस्था पूर्णत स्वयं उत्तरदायी होगी।

16– सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगें।

19– ट्रस्ट को योजना प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी यथा आवश्यक स्वीकृतियां समिति द्वारा प्राप्त की जायेगी।

....4

20— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा किन्ही अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

3— कृपया, तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या— 45 /XVIII(II)/2021,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट, बी—1/320, तृतीय तल, सैक्टर—17, रोहणी, नई दिल्ली।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।